

14.6.18

पत्रावली न्याय आयोग द्वारा-२०१८ में अदालत सेवा
केन्द्र जीरामपुरा पेश हुई। प्राचीन उसी वजह से
अप्राचीन सच ५ के अधिकारों अर्थात् है। जहाँ
सुनी गई। वास्तव में आदरणीय अप्राचीन सच ५ के
द्वारा अप्राचीन सच ५ को विक्रय होना स्पष्ट
होता है एवं केला कार्रवाई है। अतः ला फ़ैसला
सुल बाद तक अप्राचीन सच ५ को बाबंद किया
जाता है कि नए न व्यवस्थापन नहीं करें, अप्राचीन
सच ५ द्वारा क्व रजिस्टर्ड बैंगन फंड के आधार
पर नामान्तरण रखवाने हेतु स्वयं नहीगा।
इसके अतिरिक्त विदेश के नामान्तरण पर
किसी प्रकार का स्वागत नहीं रहेगा। इस वजह से
सम्बन्धी को सूचना लक्ष्य जारी हो। पत्रावली
फ़ैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
आदेश मजमें आर में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक